उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. RAJAYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(A U.P. GOVERNMENT UNDERTAKING)
8th Floor, Shakti Bhawan Extn, Lucknow.
Phone No.0522-2287838, Fax No.0522-2287191

पत्रांक 173 /उ0नि0लि0/मु0म0प्र0(वित्त) दिनांकः 10 फरवरी, 2011

कार्यालय ज्ञाप

परियोजना पर अनुरक्षण एवं परिचालन मद में भुगतान प्रक्रिया में एक रूपता लाये जाने के उद्देश्य से निगम के ज्ञाप संख्या 318/उ0नि0लि0/मु0म0प्र0(वित्त) दिनांक 03.08.2010 सपठित ज्ञाप संख्या 336/उ0नि0लि0/मु0म0प्र0 /वित्त दिनांक 11.08.2010 के अनुक्रम में भुगतान प्रणाली को और सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से निम्न आदेश किये जाते है :–

1– संज्ञान में आया है कि परियोजना प्रमुख द्वारा अपनी परियोजना पर प्राथमिकता पंजिका–ए के बीजकों हेतु जो सूची निर्गत की गयी है उनमें एक रूपता एवं स्पष्टता नहीं है अतः निम्न प्रारूप में सभी परियोजना प्रमुख द्वारा प्राथमिकता पंजिका–ए में सम्मिलित किये जाने हेतु संशोधित सूची का कार्यालय ज्ञाप निर्गत किया जाय :–

क्र0सं0	आपूर्ति/कार्य का विवरण	खण्ड का नाम	फर्म का नाम	आपूर्ति आदेश/ अनुबन्ध सं0 एवं दिनांक	अनुबन्ध की राशि (समस्त कर सहित)
1	2	3	4	5	6

प्राथमिकता पंजिका–ए हेतु सूची का संशोधित आदेश किये जाने के पूर्व सभी परियोजना प्रमुख द्वारा स्वयं सम्यक परीक्षण कर लिया जाये एवं केवल ऐसे अनुबन्ध ही शामिल किये जाये जिनका प्रतिमाह भुगतान किया जाना परियोजना कार्यहित में अनिवार्य है। प्राथमिकता पंजिका–'ए' हेतु इस प्रकार निर्धारित किये गये कार्यों की सूची अपरिवर्तनीय रहेगी।

2– प्राथमिकता पंजिका–ए एवं बी के लम्बित बीजकों की सूची निम्न प्रारूप में प्रत्येक माह की 3 तारीख एवं 18 तारीख को भुगतान एवं लेखा खण्ड कार्यालय तथा परियोजना प्रमुख कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर Display की जायेगी।

प्राथमिकता पंजिका – ए/बी

क्र0सं0	प्राथमिकता क्रम संख्या	खण्ड का नाम	फर्म का नाम	आपूर्ति आदेश/ अनुबन्ध संख्या एवं दिनांक	बीजक की धनराशि
1	2	3	4	5	6

इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परियोजना प्रमुख द्वारा अपने कार्यालय से एक अधिकारी को नामित किया जायेगा जिसकी उपस्थिति में सम्बन्धित नोटिस बोर्ड पर उपरोक्तानुसार नोटिस Display की जायेगी तथा भुगतान एवं लेखा कार्यालय के प्राथमिकता पंजिका–ए/बी में यह अंकित करते हुए कि लम्बित बीजकों की प्राथमिकता पंजिका नोटिस बोर्ड पर Display हो गयी है एवं दिनांकित हस्ताक्षरित की गयी है। परियोजना लेखा प्रमुख का यह भी दायित्व होगा कि उक्त सूची अधिकारिक रूप से पत्र द्वारा परियोजना प्रमुख को प्रेषित की जाय। साथ में परियोजना की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए यह सूची सम्बन्धित इकाई को भी प्रेषित की जाय। अपलोडेड सूची की एक कापी रखने का दायित्व भुगतान एवं लेखा कार्यालय, परियोजना प्रमुख कार्यालय तथा कम्प्यूटर पर अपलोड करने वाली इकाई का होगा।

यह संज्ञान में आया है कि नोटिस बोर्ड पर सूची चस्पा करने के उपरान्त सूची पढ़ने में या तो स्वयं फट जाती है या किन्ही तथ्यों द्वारा हटा/फाड़ दी जाती है, अतः परियोजना प्रमुख कार्यालय का यह दायित्व होगा कि परियोजना प्रमुख कार्यालय भुगतान एवं लेखा कार्यालय तथा परियोजना प्रमुख कार्यालय में ऐसा नोटिस बोर्ड लगाया जाये जिसमें ताला लगाने की सुविधा हो जिससे डिस्प्ले की गयी सूची को किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा हटाना सम्भव न हो सके।

3– भुगतान एवं लेखा कार्यालय में बीजक प्राप्त होने पर पंजिका का नाम एवं प्राथमिकता पंजिका संख्या प्राथमिकता पंजिका में अंकित करने के साथ–साथ बीजक एवं एम0बी0 पर भी दर्शित की जायेगी।

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. RAJAYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(A U.P. GOVERNMENT UNDERTAKING)
8th Floor, Shakti Bhawan Extn, Lucknow.
Phone No.0522-2287838, Fax No.0522-2287191

4– सम्बन्धित खण्डों द्वारा भुगतान एवं लेखा कार्यालय को बीजक सम्प्रेषण विलम्बित न हो जिसके सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये :–

(क) माप पुस्तिका (एम0बी0) में जिस क्रम में विभिन्न फर्मों की मैजरमेंट है उसी क्रम में बीजक भुगतान एवं लेखा कार्यालय को प्रेषित किया जाये। ऐसा कदापि न हो कि बाद में मैजरमेंट किया गया बीजक खण्ड द्वारा भुगतान एवं लेखा कार्यालय को पहले भेज दिया जाय तथा पहले मैजरमेंट किये हुए बीजक को बाद में भेजा जाए क्योंकि इससे प्राथमिकता क्रम दूषित हो जायेगा।

(ख) माप पंजिका में दर्शित माप तिथि (Measurement Date) के 10 दिन के अन्दर बीजक भुगतान एवं लेखा कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित खण्ड के अधिशाषी अभियन्ता का होगा। उक्त समयावधि में यदि 2 दिन से अधिक का विलम्ब है तो यह प्रकरण अधिशाषी अभियन्ता द्वारा सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता के संज्ञान में लाया जाय तथा यदि 5 दिन से अधिक का विलम्ब हे तो प्रकरण अधिशाषी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा परियोजना प्रमुख के संज्ञान में लाया जाय। भुगतान एवं लेखा कार्यालय द्वारा विलम्ब से प्राप्त हुए बीजकों का साप्ताहिक विवरण परियोजना प्रमुख को प्रस्तुत किया जाय।

(ग) बीजक पर फर्म द्वारा बैंक का नाम एवं बैंक खाता संख्या लिखना अनिवार्य होगा तथा एम0बी0 में भी इसे दर्शित किया जायेगा। कतिपय विशेष कारणों से यदि ऐसा किया जाना सम्भव नहीं है तो सम्बन्धित खण्ड के अधिशाषी अभियन्ता द्वारा इन कारणों का बीजक पर हस्तांक्षरित विवरण अंकित किया जायेगा।

(5) बिन्दु–2 के अनुसार लम्बित बीजकों का विवरण प्राथमिकता पंजिकावार नोटिस बोर्ड पर Display करते समय भुगतान किये गये बीजकों का पाक्षिक विवरण भी नोटिस बोर्ड पर बिन्दु–2 अनुसार ही डिस्पले किया जायेगा तथा इसकी एक सूची भुगतान एवं लेखा कार्यालय से पत्र द्वारा परियोजना प्रमुख को प्रेषित की जायेगी।

फर्म को भुगतानोंपरान्त चेक संख्या दिनांक प्राथमिकता पंजिका में दर्शित की जायेगी तथा यह भी इंगित किया जायेगा कि यह भुगतान सीधे फर्म के बैंक खाते में क्रेडिट किया गया है या फर्म को चेक दिया गया है।

(6) निधि निर्गमन, लम्बित दायित्व एवं दायित्व सृजन की सूचना का मासिक विवरण संलग्न प्रारूप में प्रत्येक माह की 5 तारीख तक परियोजना प्रमुख तथा परियोजना लेखा प्रमुख के संयुक्त हस्ताक्षर से अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/सलाहकार (तक0)/निदेशक (वित्त) को परियोजना प्रमुख द्वारा प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

(7) निगम ज्ञाप संख्या 159/उ0नि0लि0/नि0(वित्त)/शिविर दिनांक 01.07.2010, ज्ञाप संख्या 318/उ0नि0लि0 /मु0म0प्र0(वित्त) दिनांक 03.08.2010, ज्ञाप संख्या 319/उ0नि0लि0 /मु0म0प्र0(वित्त) दिनांक 03.08.2010 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 336/उ0नि0लि0/मु0म0प्र0/वित्त दिनांक 11.08.2010 के द्वारा निर्गत आदेशों का भी यथावत नैष्ठिक अनुपालन सुनिश्चित करें।

इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा परियोजना के सभी अधिकारियों को इससे संज्ञानित कराया जाये।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 173/उ0नि0लि0/मु0म0प्र0(वित्त) तद्‌दिनांक: 10-2-11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ अधिकारी सम्बद्ध अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0नि0लि0, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त) के स्टाफ अधिकारी, उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

E:\Siddiqui\CF-DEC.-10.doc

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. RAJAYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(A U.P. GOVERNMENT UNDERTAKING)
8th Floor, Shakti Bhawan Extn, Lucknow.
Phone No.0522-2287838, Fax No.0522-2287191

3. सलाहकार (तकनीकी), के स्टाफ अधिकारी उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. कम्पनी सचिव, उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर– I / II), पी0पी0एम0एम0 / तापीय परिचालन / ईंधन / वाणिज्य / मानव संसाधन / जानपद / पर्यावरण एवं सुरक्षा / आर0 एण्ड एम0 उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।–3–
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), ओबरा / अनपरा / पारीछा / हरदुआगंज / पनकी तापीय परियोजना, उ0नि0लि0, ओबरा / अनपरा (सोनभद्र) / पारीछा (झांसी) / हरदुआगंज (अलीगढ़) / पनकी (कानपुर)।
7. महाप्रबन्धक (लेखा), उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. उप–महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) / उप–मुख्यलेखाधिकारी / वरिष्ठ लेखाधिकारी, ओबरा 'अ' / ओबरा 'ब' / अनपरा 'अ' / अनपरा 'ब' / पारीछा / हरदुआगंज / पनकी तापीय परियोजना, उ0नि0लि0, ओबरा / अनपरा (सोनभद्र) / पारीछा (झांसी) / हरदुआगंज (अलीगढ़) / पनकी (कानपुर)।
9. मुख्य प्रबन्धक (वित्त प्रबन्धन इकाई), उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ

(ए0 के0 अग्रवाल)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)

निगम ज्ञाप सं0 173/उ0नि0लि0/मु0म0प्र0(वित्त) दिनांक 10.02.2011 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2010–11 में निधि निर्गमन, लम्बित दायित्व एवं दायित्व सृजन की सूचना का मासिक विवरण

परियोजना का नाम :

अवधि :

(क) निधि सम्बन्धी सूचना (रू0 लाख में)

अनुरक्षण एवं परिचालन मद में निर्धारित मासिक राशि	मुख्यालय से माह में प्राप्त राशि	माह में अनुरक्षण एवं परिचालन मद में भुगतान की गयी राशि	भुगतान की गयी राशि में से सीधे फर्मों के बैंक खाते में क्रेडिट करायी गयी राशि तथा कालम 3 के सापेक्ष %	प्राथमिकता अतिक्रमित कर भुगतान			लम्बित दायित्व			
							प्राथमिकता पंजिका 'अ'		प्राथमिकता पंजिका 'ब'	
				कुल आइटम	राशि	मुख्यालय से प्राप्त राशि के सापेक्ष प्रतिशत	किस अवधि तक भुगतान हो चुका है	लम्बित दायित्व की राशि	किस अवधि तक भुगतान हो चुका है.	लम्बित दायित्व की राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

(ख) दायित्व सृजन सम्बन्धी सूचना (रू0 लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक अनुमोदन की राशि			किये गये आदेश/अनुबन्ध की स्थिति		
	विगत माह तक	वर्तमान माह	योग	आपूर्ति	कार्य	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
परियोजना द्वारा प्रदत्त						
मुख्यालय से प्रदत्त						
बी0एच0ई0एल0/आई0एल0कोटा						
योग :						

प्रमाणित किया जाता है कि प्राथमिकता सूची दिनांक .... एवं दिनांक .... को भुगतान एवं लेखा इकाई के नोटिस बोर्ड तथा परियोजना प्रमुख कार्यालय में Display की गयी है। निगम की Website पर भी दिनाँक .... तथा दिनाँक .... को Upload कर दी गयी है।

परियोजना लेखा प्रमुख **परियोजना प्रमुख**

टिप्पणी :– उक्त सूचनाओं के सन्दर्भ में कोई सूची संलग्न नहीं की जानी है।

E:\Siddiqui\Priority Order.doc